

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—३५२ / २०१९

रमेश प्रसाद गुप्ता

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार, डोरंडा, राँची।
3. संयुक्त सचिव, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार, डोरंडा, राँची।
4. आयुक्त, पलामू डिवीजन, मेदिनीनगर, पलामू।
5. उपायुक्त, कलेकट्रेट बिल्डिंग, लातेहार।
6. उप विकास आयुक्त, कलेकट्रेट बिल्डिंग, लातेहार।
7. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कलेकट्रेट बिल्डिंग, लातेहार।

..... विपक्षी पार्टियाँ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री प्रदीप कुमार देवमणि, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री जय प्रकाश, ए०ए०जी०

०३ / दिनांक २४वीं जनवरी, २०२०

यह सिविल विविध याचिका, रिट याचिका डब्ल्यूपी० (सी०) सं० ३२४४ / २०१८ की
पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है जो ०९.०५.२०१९ को खारिज कर दी गई थी।

उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना पर आपत्ति नहीं जताई है।

यह न्यायालय, पूर्वोक्त सबमिशन पर विचार करने के बाद, रिट याचिका डब्ल्यूपी० (सी०) सं० 3244 / 2018 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करना उचित और सही समझता है।

इसके मद्देनजर, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है, तदनुसार, निपटाया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, डब्ल्यूपी० (सी०) सं० 3244 / 2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया०)